

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/1779 /

जबलपुर, दिनांक 2/8 /2022

IV-12-14/80 Pt- VII-R

श्रीमती नूतन जैन, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 02.07.2022 से गृह भाड़ा भत्ता बंद किया जाता है।

सही/-

(विकास चन्द्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)


क्रमांक D/1780 /

जबलपुर, दिनांक 2/8 /2022

IV-12-14/80 Pt- VII-R

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
 2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 4. सहायक अवकाश/सेवापुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 6. श्रीमती नूतन जैन, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(विकास चन्द्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)